



उत्तर प्रदेश

पत्र सं०
सं०

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग नीलगिरी कॉम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



दिनांक- 9/3/17

प्लॉट नं० एल० एल० ११०

प्लॉट नं० एल० एल० ११०

प्लॉट नं० एल० एल० ११०

विषय: इण्टीग्रेटेड आवासीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग पर ग्राम-पुरखीनी उद्योग-मोहनलालनगर में 252.687 एकड़ की वास्तु में प्रस्तावित ई-कन्सुएट एवं एलआईडी सी बन्दों की संशोधित मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सूचीकरण

प्लॉट नं० एल० एल० ११० जिस द्वारा इण्टीग्रेटेड आवासीय योजना के अन्तर्गत लखनऊ-रायबरेली राजमार्ग पर ग्राम-पुरखीनी उद्योग-मोहनलालनगर में 252.687 एकड़ की वास्तु में प्रस्तावित 22509.14 वर्ग मीटर के ई-कन्सुएट एवं एलआईडी सी बन्दों की संशोधित मानचित्र की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है -

- स्वीकृत निर्माण स्थल पर परिचर द्वारा अभ्योदित डीपीआर में अनुसार निर्मित तलपट में प्रशोषी पट्टी भूमि पर ही किया जाना होगा। तलपट की स्थिति में तलपट, लखनऊ द्वारा किए गए सीमांकन मान्य होगा व स्वीकृति में संशोधन के तलपट ही निर्माण स्थल पर किया जाएगा।
- स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 9/3/17 से 8/3/2022 तक, इन प्रतिबन्ध के साथ होगी कि मानचित्र निर्माण होने की तिथि से एक माह में विकासकर्ता एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण संपन्न-4 लखनऊ द्वारा समन्वय कर परस्पराल परस्पराल परस्पराल परस्पराल की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए अन्यथा मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य जाएगा।
- स्वीकृत मानचित्र प्राप्त हो जाने के अन्तिम संशोधन की तिथि मान्य होगी।
- यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल बन्दों का क्षेत्रफल 252.687 वर्ग मीटर (जीएमएसटी) में से 252.687 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मू-एल से निर्माण के लिए 22509.14 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है।
- मू-एल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से भूमि के लक्षण) दोष निर्माण की अनुमति नहीं पर स्वीकृति स्वयं स्वर से प्रदान की जा सकती। (स्वीकृत मानचित्र सत्य है।)
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता निर्माण इकाई-4 को प्राप्त होगी जिसके द्वारा विकास पर विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। निर्माण प्रारम्भ होने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता निर्माण संपन्न-4 को प्रत्येक माह की मासिक प्रगति की रिपोर्ट मासिक मुख्य जलसुविध निरीक्षक को उपरान्त करादी जाती होगी।
- मुख्य अभियन्ता अधिशासी लखनऊ के पत्रांक-679/एल०एल०-12 दिनांक-24.03.2017 द्वारा प्राप्त अधिशासी अनुमति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन की निर्माण के परन्तु तथा उपरान्त से पूर्ण स्थानीय उपनिवेशक को 20 फीसद सम्पत्ति लखनऊ, से पुनः आनिता अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
- निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का दिखने ऐसा स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सभाओं के द्वारा सुगमतापूर्वक जाँचोचित किया जा सके।
- विशेष विकासकर्ता की रीयर डेवलपिंग अथवा सम्पत्ति डेवलपिंग से सम्बन्धित विवादों/भूकटकों में राज्य सरकार अथवा इसके अधिकारन अधिकार नहीं होगी, ऐसे विवादों का निराकरण 'सिटीज कोर्ट ऑफ़ लो' में ही सुनिश्चित किया जाना होगा।
- विकासकर्ता द्वारा सत्य प्रमाण पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन एक प्रमाणित किता जायेगा जिससे साथ अनुमति लखनऊ की स्थिति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। सम्पत्ति लखनऊ निर्माण कार्य सम्पन्न नहीं जाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्मित किया जायेगा।
- कम से कम 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से कुसरोपल अथवा अन्य रूप से बोना होगा।
- वेनडर ड्राइविंग भूमि को अधिशासी रूप से करवा होगा।
- अधिसूचित सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना भवन के कुम्भी क्षेत्रफल के अनुसार 20 प्रतिशत तक की दर पर अनिवार्य रूप से की जायेगी। भूखण्ड पर सोलर प्लांट नं० 570-9-30-12001 (भूखण्ड नं०/2001/ (आवा.) दि०- 3.2.2001 एवं सं० 3791/8-का-भूखण्ड नं०/2001/(आवा.) दि०-20.7.2001 के अन्तर्गत, शी, लो के एक मानचित्र की वृष्ट भागों पर सत्या की गयी है जिनको अनुसरण करना होगा।

14. विकासकर्ता द्वारा भारतीय विमानपत्तन का अनुमोदित प्रथम चक्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिससे, सचका में विकासकर्ता को निर्देशित करते हुए भारतीय द्वारा प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यह भारतीय मूलक पर धारित निर्माण प्रकल्पकार सीमा तक ही किया जा सकता है अन्यथा प्र. भू-उपयोग के अन्तर्गत अवरोधक अनुमोदित प्रमाण एवं अनुमोदित करने पर ही अनुमोदित करने पर सीमाई का विशेष विचार जा सकेगा।
15. भारतीय का विशेष निम्नलिखित विदेश कोड के मान (STRUCTURE) अधिकारी के अनुमोदित करते हुए ही अनुमोदित निर्माण की जा रही है तथा अनिवार्य/सुलभ समझौते का प्रस्ताव अधिकारी को सचकाई मुद्रा अनिवार्य अधिकारी द्वारा अपने हवा से सुनिश्चित कराया जाएगा।
16. अधिकारी अधिकारी, निर्माण ड्रॉइंग-4 की द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित मूलक पर विशेष स्वीकृत भारतीय के अनुमोदित स्वरूप पर किया जा रहा है।
17. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण के प्रकल्प सचका निर्माण एवं विकास लक्ष्य 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब की अनुसार व्यवसाय से पूर्व पूर्णतया प्रमाण प्रदे प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
18. सचकादेश के अनुमोदन में शारात स्तर पर ईड डब्ल्यू एस0 एवं एल0 आई0 जी0 के मध्यों के निर्माण प्रगति समीक्षा हेतु विकासकर्ता द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सात सप्ताहगत मुख्य वास्तुविद नियोजक को निर्दिष्ट प्रारूप पर उपलब्ध करायी जानी होगी।
19. वेड की एर एरक्ति की सचकाई-सचकाई सचकाई पर किया काम पुरस्ती में इन्टीग्रेटेड आकाशिक योजना के भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-उपयोग सुलभ की सचका के सम्बन्ध में प्रकरण शारात स्तर पर विचारार्थ है, जो शारात स्तर से यदि भू-उपयोग सुलभ लिए जाने के निर्बंध किया जाता है तो विकासकर्ता को देना होगा, फिर हेतु विकासकर्ता द्वारा पूर्व में सचका पर भी प्रस्तुत किया जाता है।
20. विकासकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैंक गारंटी क्र0 026152 लाख त बचक रखी जाने वाली भूमि सचका निर्माण के समय-समय अनुमोदित रूप में अनुमोदित की जायेगी।
21. विकासकर्ता को ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मध्यों की तल क्षेत्रफल की समतुल्य आकाशिक उपयोग का विधुल्य एक ए.आर. जी डेसिक एक ए.आर. बचक-धोष एक ए.आर. के अतिरिक्त सीमा, ट्रांसफरेंस बचक पर अनुमोदित होगा, जिससे सचका सहायताधिक कल से डेकाईली भी अनुमोदित होगी।
22. अतिरिक्त एक ए.आर. का उपयोग ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मध्यों का निर्माण कार्य पूर्व ही जाने पर ही अनुमोदित होगा।
23. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मध्यों का आवदन सचका जात गयी हैं जायसिबिली के आवस वास्तुवा की व्यवसाय में सचका द्वारा गठित स्थिति, जिसमें विस्तारिकारी तथा विकासकर्ता के प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे, के माध्यम से किया जाएगा। सचका जायस/निस्तारण प्रवादी सचकादेश के अनुसार किया जायेगा।
24. ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. मध्यों को सचकाई द्वारा विकस/हस्तान्तरण पर सचका लगाने हेतु सुचालित अधिकारियों में व्यवस्था की जायेगी।
25. समय-समय पर शारात द्वारा निर्णित सचकादेश मान्य होंगे।

सचकाई:

1. आर्कीटेक्चरल भवनियों का एक सेट (24 पग सीट)
2. इन्फ्रस्ट्रक्चर डिजाइन्स का एक सेट (08 पग सीट)
3. इन्फ्रस्ट्रक्चर व सचकाई का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण एवं का प्रस्ताव-ब।

(सचकाई कर्मचारी)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी
दिनांक

स0

/सकाई

प्रतिनिधि निर्माणस्थिति को सुचालित एवं व्यवसाय कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता- राष्ट्रीय गुल, उ0 प्र0 आकाश एवं विकास परिषद, सचकाई को सचका सचकाई के एक सेट सहित सुचालित एवं व्यवसाय कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिकारी अभियन्ता, निर्माण ड्रॉइंग-04 उ0 प्र0 आकाश एवं विकास परिषद, सचकाई को सचकाई के एक सेट सहित।
3. सचका निर्देशक, उ0 प्र0 आकाश सचकाई, सचकाई को प्रपत्र-ब व सुचित।

(सचकाई कर्मचारी)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी